न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 115 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. नेमीचंद पुत्र पुनाराम जाति सीरवी निवासी साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 12/6/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा साण्डिया, प0ह0 साण्डिया, भू—अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल तह0 सोजत व ग्राम बोयल, प0ह0 बासना, भू0अ0नि0 क्षेत्र अटबड़ा तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की कृषि भूमि जिसका विवरण इस प्रकार हैं —

सम्पति ''ए'' (सरहद मौजा साण्डिया) खाता सं0 837 पुराना खाता सं0 822 के ख0नं0 626, 682 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9000 है0, सम्पति ''बी'' सरहद मौजा साण्डिया) खाता सं0 967 पुराना खाता सं0 837 के ख0नं0 1892 रकबा 1.8600 है0, सम्पति ''सी'' सरहद मौजा साण्डिया) खाता सं0 363 पुराना खाता सं0 363 के ख0नं0 1921 रकबा 7.1700 है0, सम्पति ''डी'' सरहद मौजा साण्डिया) खाता सं0 365 पुराना खाता सं0 68 के ख0नं0 754, 755, 756, 757, 758 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.0800 है0, सम्पति ''ई'' सरहद मौजा साण्डिया) खाता सं0 681 पुराना खाता सं0 357 के ख0नं0 1988 रकबा 1.5800 है0, सम्पति ''एफ'' सरहद मौजा साण्डिया) खाता सं0 847 पुराना खाता सं0 831 के ख0नं0 1276, 1285 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.4900 है0, सम्पति ''जी'' सरहद मौजा बोयल) खाता सं0 126 पुराना खाता सं0 130 के ख0नं0 162, 164 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.1500 है0 की आयी हुई स्थित हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि कृषि भुमि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र पुना एवं जाति श्रीमाली ब्राहमण अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपुर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम नेमीचंद पुत्र पुनाराम एवं जाति सीरवी अंकित हैं। प्रार्थी का नाम नेमीचंद पुत्र पुनाराम एवं जाति सीरवी के स्थान पर नेमाराम पुत्र पुनाराम एवं जाति श्रीमाली ब्राहमण दर्ज हो जाने से प्रार्थी का कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र पुना

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

एवं जाति श्रीमाली ब्राहमण के स्थान पर नेमीचंद पुत्र पुनाराम एवं जाति सीरवी दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी में प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र पुना एवं जाति श्रीमाली ब्राहमण के स्थान पर नेमीचंद पुत्र पुनाराम एवं जाति सीरवी के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमावे।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा साण्डिया में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जवाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी में प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र पुना एवं जाति श्रीमाली ब्राहमण के स्थान पर नेमीचंद पुत्र पुनाराम एवं जाति सीरवी के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमावे। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 05/06/2025 के अंक 10, जिल्द सं0 77 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र में नेमीचंद एवं नेमाराम पुत्र पुना दोनों ही नामों का एकमात्र व्यक्ति नेमींचद पुत्र पुनाराम जाति सीरवी होना अंकित हैं। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 7454 2679 6397 में भी प्रार्थी का नाम नेमीचंद पुत्र पुनाराम दर्ज हैं। वर्तमान खाता सं0 126, 363, 365, 681 में प्रार्थी की जाति सीरवी दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम नेमीचंद पुत्र पुनाराम जाति सीरवी होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र पुना एवं जाति श्रीमाली ब्राहमण के स्थान पर नेमीचंद पुत्र पुनाराम एवं जाति सीरवी के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी में प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र पुना एवं जाति श्रीमाली ब्राहमण के स्थान पर नेमीचंद पुत्र पुनाराम एवं जाति सीरवी के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 12/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत